

महापालिका सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर
राजस्थान पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

बनाम

प्रतिवादी

1. तहसीलदार बाप

श्री. सुरेन्द्र सिंह
राजस्थान निवासी
तहसीलदार बाप

राजस्थान वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एव प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

नंबर :- 101/2018

अभिप्रेत :-
श्री. राजेन्द्रसिंह सोलंकी वादीगण एवं अप्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी एवं प्रतिवादी

दिनांक :- 13.01.2020

निर्णय

वादी के वाद का सार संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादी की खातेदारी की खसरा नंबर 630.16 बीघा में से 100 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि सरहद मौजा नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट और से पहले से ही वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त था। सेटलमेंट के समय वादी के पूर्वजों को बाहर गांव चले गये थे इसलिए खसरा नंबर 355 रकबा 630.16 बीघा में से उक्त भूमि उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं कर राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त पीढियों से चला आ रहा था उन्होंने अपने जीवन काल इस भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बनाये थे। उक्त वादी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है वादी ने भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चारों ओर खुंटे रोप कर तारबंदी की हुई है। वादी ने भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल गिसल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उक्त वाद में प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम सहपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु किया है। जिसमें वादी को हर वर्ष समय-समय पर सरकारी भूमि से वेदखल किया है वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षों तक कब्जा काश्त नहीं रहने से उक्त भूमि पर वादी खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने की को वाद करण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जिसके अभाव में वादी का वाद योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद नोट कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं होने से तथा वाद पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इसी

